

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली

बिड आमंत्रण सूचना

क्रमांक/लेखा/2026-27/ 322

दिनांक :- 4/8/2026

पाली न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ नवसृजित न्यायालय, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0एक्ट) प्रकरण, सुमेरपुर जिला पाली एवं पाली न्यायक्षेत्र के न्यायालयों के लिये निम्नलिखित सामग्री आईटम संख्या 01 फर्नीचर हेतु राजस्थान के पंजीकृत, सूक्ष्म और लघु उद्योगों से एवं आईटम संख्या 02, 03, 04 एवं 05 हेतु बोनाफाइड विनिर्माता/ प्राधिकृत वितरक/ प्राधिकृत डीलर/प्राधिकृत सद्भाविक व्यवहारियों से मोहरबंद लिफाफे में बिड आमंत्रित की जाती है ।

क्रम सं	नाम आईटम मय विवरण	अनुमानित राशि (रुपये)	बिड प्रपत्र शुल्क	Bid Security	बिड प्रपत्र बेचने की तिथि	बिड प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	बिड खोलने की तिथि
1	फर्नीचर्स	324000/-	500/-	6480/-	दिनांक 05.08.2026	दिनांक 17.08.2026 को अपराह्न 12.30 बजे तक	दिनांक 17.08.2026 को सांय 04.00 बजे
2	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर	560000/-	500/-	11200/-	से 17.08.2026 प्रातः 11 ए.एम तक		
3	फोटो कॉपी मशीन	75000/-	200/-	1500/-			
4	वातानुकूलित संयंत्र (1.5 टन Split) मय स्टेबलाइजर	100000/-	200/-	2000/-			
5	लेजर प्रिन्टर्स	672000/-	500/-	13440/-			

बिड प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित शुल्क जमा कराकर इस कार्यालय की लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित तिथि व समय से पूर्व प्राप्त किये जा सकते हैं । वेबसाईट से फार्म लेने की दशा में फार्म जमा कराते समय उसमें बिड प्रपत्र मूल्य का डीडी अवश्य लगावें। विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट <https://pali.dcourts.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकेगी ।

अध्यक्ष उपापन समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
पाली

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली

बोली प्रपत्र (BID FORM)

- Supply and Installation of Split Inverter A.C. 1.5 Ton 5 Star Rating
- बोली दाता का नाम/ फर्म का नाम,
पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता
.....
.....
टेलीफोन नं व्हाटस एप मोबाईल नं ई-मेल
- स्टोर्स/गोदाम/वर्कशॉप/फैक्ट्री सम्पर्क कार्यालय का पता
- किसको संबोधित किया गया :- अध्यक्ष क्रय कमेटी
जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली
- बोली सूचना संदर्भ :- क्रमांक/लेखा/2026-27..... दिनांक
- बोली प्रपत्र अप्रतिदाय शुल्क (Non Refundable Fee) की राशि रु 200/-जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करा दी गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

बैंकर्स चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	राशि
- बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी

विवरण	पंजीकरण संख्या
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	
आय कर (PAN No.)	
- बोलीदाता द्वारा अपने बैंक का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा तथा स्वहस्ताक्षरित बैंक स्टैटमेंट का बैंक विवरण सलंग्न किया जायेगा।

बैंक का नाम	शाखा का नाम एवं पता	आई.एफ.सी.कोड.	खाता संख्या
- हम, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली द्वारा जारी की गई बिड आमंत्रण सूचना संख्या दिनांक.....के पक्ष में वर्णित शर्तों से तथा सलंग्न शीटों में दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
- अनुमोदित प्रदायकर्ता द्वारा माल की सुपुर्दगी क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 20 दिवस के भीतर एफ.ओ.आर. क्रेता अधिकारी के सुमेरपुर स्थित एन.आई. एक्ट केसेज न्यायालय सुमेरपुर में पूर्ण की जाएगी तथा Installation क्रेता अधिकारी के निर्देशानुसार तीन दिवस में पूर्ण किया जायेगा।

दिनांक :-

स्थान :-

अध्यक्ष
क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
पाली (राज.)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

S.R. 16

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली

General terms & conditions of Limited Bid & Contract

Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" (hereinafter called the Act) and "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidder are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहियें तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें। अगर निविदादाता को निविदा कि शर्तों या विशिष्टताओं, जो निविदा में दिये गये हैं, के बारे में किसी प्रकार का निर्वचन (Interpretation) / आशय के संबंध में कोई संदेह हो, तो निविदा भरने से पूर्व संस्था प्रभारी को प्रस्तुत कर (Clarification) प्राप्त कर लेना चाहिये तथा संस्था प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता जिसे स्वीकार करने के लिये बाध्य रहेगा।
2. बिड, बिड सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद कर पूर्ण रूप से भरी गई बिड के साथ निर्धारित आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली के पते पर निर्धारित दिनांक-समय तक जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद प्राप्त बिडों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
3. निर्धारित बिड प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में दी गई बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यलय द्वारा ऐसी किसी भी बिड को प्राप्त नहीं करेगा, जो बिड प्रस्तुतीकरण के लिए नियत दिनांक और समय के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। फैंक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई भी बिड, जो बिड के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् कोरियर/डाक द्वारा पहुंची हो, को विलंब से प्राप्त के रूप में विहित और घोषित किया जा कर, बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बिडदाता को लौटा दी जायेगी।
4. पूर्ण रूप से भरे गये बिड प्रपत्र मय दस्तावेजों के मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे पर बोली संदर्भ संख्या तथा जिस विषय वस्तु के लिए बोली प्रस्तुत की गई है, उसका नाम अंकित किया जायेगा। मुहरबंद लिफाफे अध्यक्ष, क्रय कमेटी, जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली के नाम से प्रस्तुत किये जायेगे। प्राप्त बिडों को निर्धारित दिनांक-समय पर उपस्थित बिडदाता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बिडदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित उपापन समिति द्वारा बिना उसका इन्तजार किए निर्धारित समय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय पाली के कक्ष में खोली जावेगी। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को बिड खोली जायेगी।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
6. वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन :- कोई भी बिडदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बिड नहीं देगा। इस संबंध में पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में बिड को रद्द कर दिया जायेगा।
7. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बिडदाता बिड के निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर मय मोहर अंकित करेगा।
8. दरे (Rates) :-

- 1) शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियों एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियों करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में सभी प्रकार के करों को पृथक से दिखाना चाहिए।

- 2) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।

- 3) बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

जिला एवं सेशन न्यायालय
पाली, राजस्थान

- 4) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी । बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी । जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी ।
- 5) बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लिए ही एक ही दर प्रस्तुत की जावेगी । एक से अधिक दर देने तथा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए दी गई दरों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
9. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correctin of arithmetic errors in financial bids) :- बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
 - 1) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा
 - 2) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
 - 3) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी ।
10. बिडदादाता अपनी बिड या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नही किसी को आगे सब लेट कर सकेगा ।
11. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of Bids) :-
 - 1) बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी । किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है । लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी ।
 - 2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समायावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी । बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहत नहीं की जायेगी ।
 - 3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां (Bid Securities) प्रस्तुत करेंगे । कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा ।
12. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन और उपान्तरण (Withdrawal, Substitution and modifications of Bids) :-
 - 1) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा । बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये । नोटिस -
 - a) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन" या "उपान्तरण" अंकित हो ; और
 - b) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये ।
 - 2) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी ।
 - 3) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।
13. मूल्यांकन की कसौटी :- बोलीदाता की आईटमवार्ज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा ।

अध्यक्ष
कृष्ण समिति
मुख्य एवं सहायक अध्यक्ष
सूचना, प्रचार, वेबसाइट, व्यापारिक
सूचना, प्रचार, वेबसाइट, व्यापारिक

14. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों, विनिर्देशों, आकार मेंक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों, विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

15. दरे गन्तव्य स्थान जिला न्यायालय पाली द्वारा बताये गये सुमेरपुर मुख्यालय पर स्थित एन.आई. एकट केसेज न्यायालय सुमेरपुर के लिए एफ.ओ.आर उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु किसी भी प्रकार के करों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गाडी भाड़ें (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के सुमेरपुर स्थित एन.आई. एकट केसेज न्यायालय सुमेरपुर पर की जायेगी।

16. स्पेसिफिकेशन (Specification) :-

1) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

2) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाय अवधि में ही देना होगा।

3) यदि बोलीदाता किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाय करने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो उसके समक्ष या अन्य मेक का आईटम उपापन समिति के अनुमोदन के पश्चात बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि बोलीदाता अनुमोदित सामग्री प्रदाय नहीं करती है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समक्ष बाजार में उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं अन्तर राशि बोलीदाता की प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।

4) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जावेगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

5) वारंटी एवं गारंटी का खंड :- निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से बोली में अंकित अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि वारंटी एवं गारंटी की अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो रद्द की गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

17. माल की सप्लाय :-

1) बोलीदाता बिड में माल सप्लाय के लिए निर्धारित स्थान पर माल की सही दशा में सप्लाय करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा परिवहन की सामान्य स्थिति में माल में किसी प्रकार की क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जोन पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष
उप सचिव
क्र. 1/2019
पुनः प्रकाशित
पुनः प्रकाशित
पुनः प्रकाशित

- 2) माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगा । यदि सप्लायर चाहे तो वह किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा तथा कार्यालय से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परिवहन के दौरान माल की किसी भी प्रकार की हानि के लिए यह कार्यालय उत्तरायी नहीं होगा तथा न ही बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।
- 3) बोलीदाता द्वारा सप्लाई आदेश जारी होने के दिनांक से 20 दिवस के भीतर एन.आई. एक्ट केसेज न्यायालय सुमेरपुर जिला पाली में पूर्ण किया जायेगा। जिनकी सूची बोली प्रपत्र में दर्शायी गई है। तथा Installation क्रेता अधिकारी के निर्देशानुसार तीन दिवस में पूर्ण किया जायेगा।
- 4) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।

18. भुगतान :-

- 1) बोली में सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी । अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे । यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त कर दी जावेगी ।
- 2) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा । अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे । यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोल मानकर बोली निरस्त की जा सकेगी ।
- 3) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में जी.एस.टी.बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा । राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश के तहत वैधानिक कटौतिया कर भुगतान किया जावेगा ।
- 4) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।
- 5) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगें ।
- 6) परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी । कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidated damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी ।

19. सुपुर्दगी अवधि एवं परिनिर्धारित क्षय (Delivery Period and Liquidated damages) :-

- 1) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सप्लाई निर्धारित गन्तव्य स्थान पर पूर्ण करेगा । सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।
- 2) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-
 - a) विहित सुपुर्दगी अवधि के लिए एक चौथाई (1/4) अवधि तक के विलंब के लिए:- 2.50 %
 - b) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई (1/4) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि (1/2) से अनधिक के लिए :- 5.00 %
 - c) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनधिक के लिए :- 7.50 %
 - d) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई (3/4) अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए :- 10.00 %
 - e) विलंब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।
 - f) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

अध्यक्ष
क्षय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर (राज.)

- 3) यदि बोलीदाता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा।
- 4) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

20. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) :-

- 1) सफल बोलीदाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी।
- 2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
- 3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज नहीं दिया जायेगा।
- 4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्याताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
- 5) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण (Forfeiture of Performance Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :-
 - a) जब संविदा के किन्ही निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - c) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो।
 - d) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

21. करार का निष्पादन (Execution of agreement) :-

- 1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
- 2) सफल बोलीदाता को 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वयं के व्यय पर निष्पादन करना होगा।
- 3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो, बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

22. परिणाम में परिवर्तन का अधिकार (Right to Vary Quantity) :-

- 1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- 2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोलीदस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ायी जा सकेगी।

- 3) अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing quantities among more than one bidder at the time of award) :- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली स्वीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी

अध्यक्ष
क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
दिल्ली (राज्य)

हैं या जब यह समझा जाये कि उपापन की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच, उस बोली लगाने वाले की दरों पर, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत के समान होगा। तथापि, परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति-प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

23. बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग (Breach of code of integrity by the bidder) :- अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप-धारा (3) और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार सुमचित कार्यवाई कर सकेगी।
24. यदि बिडदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
25. उपापन समिति किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।
26. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार-उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।
27. बिडदाता को करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
 - 1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (PartnerSheep Deed) की एक स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति।
 - 2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
 - 3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर
 - 4) कम्पनी के मामलों में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कमउपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
28. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
29. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा पाली स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष

अध्यक्ष, न्याय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय, पाली

प्रमाणित किया जाता है कि बोली प्रपत्र तथा प्रपत्र के सलग्न सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है तथा इनके सभी पृष्ठों पर स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष

न्याय समिति

जिला एवं सेशन न्यायालय
पाली (राज.)

दिनांक:-

स्थान:-

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय

नाम व सील

OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSION JUDGE, Pali

Specification of Supply and Installation of Split AC 1.5 Ton 5 Star Rating

Sl. No.	Qty	Estimated Amount in Ruppees	Recommended Make	Detail of Item
1	2	1,00,000 Rs.	LG/ VOLTAS/ BLUESTAR/ CARRIER/ DAIKEN/HITACHI/ GODREJ etc.	<p><u>1.5 Ton Split Air conditioner</u> Supply and Installation of 5 Star Rating of BEE 1.5 Ton Split Invertor Air Conditioner with Out door Unit and Indoor Unit, surface / concealed coper Refrigerant piping with insulation (Nitril rubber / XLPE insulation), length as required (IDU to ODU), copper power cable, length (IDU to ODU), HDPE PVC drain pipe (dia 15mm), length as required, Eco Friendly Refrigerant (R-410/R-410A etc), Remote, Suitable for 400/230 V +10% of 50 Hz, 1/3 Phase AC supply capable of performing cooling, dehumidification. All other required associated accessories with iron stand.</p> <p>Warranty:- Minimum One year Comprehensive warranty on all sapres and parts except compressor and Five Year Comprehensive Warranty on Compressor.</p> <p><u>Stablizer</u> Supply, Fixing and testing of following capacity wall mounted stablizers having output voltage variation from 200 V to 250 V (+/- 5%) with input voltage variation from 170 V to 260 V, time delay facility from 2 to 4 minutes and high cutoff at 270 V with providing of 16 Amp plug top making connection etc complete in all respect : 4kVA</p>

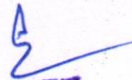
Dated :-

Place :-

Signature of the Bidder with Seal

Name :-

Address :-


 अभ्यर्थी
 कृष्ण कर्मचारी
 जिला एवं सत्र न्यायालय
 पाली, (राजस्थान)

OFFICE OF THE DISTRICT AND SESSION JUDGE, PALI

FINANCIAL BID

Financial Bid for Supply and Installation of Split AC 1.5 Ton 5 Star Rating

Sl. No.	Particular	Quoted Make from Recommended Make & Moudle No.	Quoted Rate excluding GST (Per Unit)	GST RATE & Amount	Total Amount (Per Unit) In Figure & Words
1	1.5 Ton Split Air conditioner (as Per Speiciation above)				

Dated :-

Seal

Place :-


 अध्यक्ष
 कृषि समिति
 जिला एवं सेशन न्यायालय
 पाली (राज.)

Signature of the Bidder with

Name :-

Address :-

Annexur :- A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person participating in a procurement process shall :-

- A. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- B. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- D. not misuse any information shared between the Procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- E. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- F. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- G. disclose conflict of interest, if any; and disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more Parties in a bidding process if, including but not limited to:-

- A. have controlling partners/shareholders in common; or
- B. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- C. have the same legal representative for purposes of the bid; or
- D. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- E. the Bidder participates in more than one bid in the same bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same sub-contractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- F. A bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Signature of the Bidder with Rubber Seal

Place:


 अध्यक्ष
 कृषि समिति
 जिला एवं सेशन न्यायालय
 पाली, (राज.)

Annexur :- B

Self Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. I/We do not have unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
7. I/We do not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years does not have any debarment by any other procuring entity is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer.
8. I/We do not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
9. I/We will comply with the code of integrity as specified in the bidding document. Also, this is to certify that, the specifications mentioned in the Technical bid, I/ We shall supply if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum technical specifications of the bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Date:

Place:

Signature of the Bidder with Rubber Seal

अध्यक्ष
कृषि समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
भारत (राजस्थान)

Annexur :- C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is District & Session Judge, PALI.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Registrar General, High court, Jodhpur

1. Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appeal Authority, as the case may be.
4. Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
 - (a) Determination of need of procurement;
 - (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
 - (c) The decision of whether or not to enter into negotiation;
 - (d) Cancellation of a procurement process;
 - (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
5. Form of Appeal
 - a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or second Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filing appeal

- a) Fees for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand which shall be non-refundable


 अध्यक्ष
 न्याय समिति
 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 पाली (राजस्थान)

- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

- a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Dated :-

Place :-

Signature of the Bidder with Rubber Seal

Name :-

Designation :-

Address :-


 अध्यक्ष
 राज्य समिति
 विद्युत, पथ व तेलक न्यायपालिका
 पालिका, रायबरेली

FORM No. 1

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in
Public Procurement Act, 2012**

Appeal Noof

Before the(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the

2. Name and address appellant:.....

(ii) Official address, if

any:.....

(iii) Residential

address:.....

of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or
a statement of a decision, action or omission of
the procuring entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature


अध्यक्ष
समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर, (राजस्थान)

Additional Conditions of Contract :-**1. Correction of arithmetic errors :-**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

- a. if there if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the bid Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- b. if there if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities :-

- a. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- b. Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Scheduled of power as prescribed by the Finance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administrative department concerned.
- c. Orders for additional quantities may be placed, if allowed in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased.

The limits of repeat order shall be as under:-

- (a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and
- (b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% the quantity of the individual items as provided in the origin work order with prior approval of the administrative Department concerned as follows:-

अध्यक्ष
क्रय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
पाल्पा (राज्य)

- i. the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities;
- ii. that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;
- iii. that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.

d. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award:-**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

Dated :-

Place :-

Signature of the Bidder with Rubber Seal

Name :-

Designation :-

Address :-


 अध्यक्ष
 कृषि समिति
 जिला एवं सेशन न्यायालय
 पन्ना (रामगढ़)

Annexur :- E

**Self Declaration by the Bidder regarding Compliance to
Terms and Condition of Bid**

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement of.....in response to their Notice Inviting Bids No.....Dated..... I/We hereby declare that:

1. I/We also confirm acceptance of the all General Terms and Conditions of tender document.
2. I/We certified that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.
3. I/We certified that tendering firm has not been banned/blacklist by any Government Department of the State/Government of India/PSU/Local Bodies/Other Institute from business dealings.
4. I/We also certified that the information given above is factually correct,true and nothing material has been concealed.
5. This is to certify that, the specifications of bid Items which I/ We have mentioned in the bid, and which It We shall supply if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.
6. I/ we have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate,we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without anydeviations.
7. I/ We certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the work, to meet the desired Standards set out in the Tender/ bidding Document.
8. I/We certify that the Goods and Services Tax (GST) will not to be charged more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under.
9. I/We certify that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under.
10. I/We certify that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST.
11. I/We hereby certify that the rate offered in Financial Bid are reasonable and justified and we are not marketing lower rates to other department on condition of the tender and contract.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Dated :-

Place :-


 अध्यक्ष
 क्रय समिति
 जिला एवं सेशन न्यायालय
 बाला (राज.)

Signature of the Bidder with Seal

Name :-

Address :-

Annexur :- F

SR FORM-11

DECLARATION BY BIDDER

I/We declare that I am/we are Bonafide Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/ Authorised dealer/dealers/sole selling/Marketing agent in the goods/stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Dated :-

Place :-

Signature of the Bidder with Seal

Name :-

Address :-


 अध्यक्ष
 कृष्ण धर्मिनि
 निराला एवं बेकन न्यायालय
 पाली (रायगढ़ जिला)